संख्या-624/2016/1941/69-1-16-50(अ0सं0-37)/2016

प्रेषक,

एच0पी0 सिंह
विशेष सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,
उ0प्र0, लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी
उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

लखनऊ : दिनांक : 29 सितम्बर, 2016

विषय वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-37 में शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में इण्टरलाकिंग, जल निकासी, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनान्तर्गत जनपद-मुरादाबाद की 13 परियोजनाओं की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2403/15/छ:/4/2012-13, दिनांक 04 सितम्बर, 2015 व जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, मुरादाबाद के पत्र संख्या-846/डूडा/15-16/प्रस्ताव, दिनांक 28.08.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में इण्टरलाकिंग, जल निकासी, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योज0नान्तर्गत" वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत जनपद-मुरादाबाद की न0निगम-मुरादाबाद की विभिन्न अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य से सम्बन्धित अलग-अलग कुल 13 परियोजनाओं हेतु रू0 692.89 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित, उक्त के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अर्थात संलग्न तालिका के स्तम्भ-6 में अंकित धनराशि रू0 346.445 लाख (रूपये तीन करोड़ छियालिस लाख चौवालिस हजार पाँच सौ मात्र) की, निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. उक्त धनराशि प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों विषयक शासनादेश संख्या-32/69-1-13-14(31)/2012टीसी, दिनांक 16 जनवरी, 2013 में दिये गये दिशा-निर्देश/व्यवस्था का पूर्णरूपेण अनुपालन करते हुए की जायेगी।
2. प्रश्नगत परियोजनाओं में प्रस्तावित कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रयोजना पर सक्षम स्तर/सूडा से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर/सूडा से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
3. उक्त धनराशि शासन द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तो/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य की विशिष्टियों, मानक व गुणवत्ता आदि को सुनिश्चित करते हुए कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायेंगे कि वे उपलब्ध धनराशि से ही निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाये तथा उनका लाभ सम्बन्धित स्थानीय निवासियों को मिल सके।
4. उक्त धनराशि यथा समय सम्बन्धित डूडा (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। सम्बन्धित डूडा (निर्माण इकाई) द्वारा प्रश्नगत परियोजना को जिला स्तरीय शासी निकाय से अनुमोदित कराने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

क्रमशः..........2

5. उक्त धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी प्रकार का व्यावर्तन अनुमन्य नहीं होगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।

6. प्रश्नगत परियोजनाओं हेतु स्वीकृत धनराशि से ही कार्य पूर्ण कराया जाना सूडा/डूडा (कार्यदायी संस्था) द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त परियोजनाओं हेतु कोई अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत नहीं की जायेगी।

7. स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक/डाकघर/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।

8. उक्त प्रायोजना की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व कार्यदायी संस्था/सम्बन्धित डूडा का होगा।

9. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

10. उक्त धनराशि यथासमय सम्बन्धित डूडा इकाई (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त परियोजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है, जिससे कि शासकीय धन का दुरूपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में स्वीकृत धनराशि तत्काल राजकोष में जमा कराकर शासन को सुचित किया जायेगा।

11. उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व सूडा द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत परियोजनाओं के आगणनों का गठन वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 04.04.2008 के अनुरूप है तथा उसमें कार्य विशेष की लागत सीमा को कम करने के उद्देश्य से अथवा प्रायोजना के स्कोप को कम करके अथवा प्राविधानों को कम करके लागत आंकलित नहीं की गई है।

12. प्रश्नगत परियोजना से सम्बन्धित कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, यह सूडा/डूडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

13. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा सचिव/प्रमुख सचिव तथा विशेष सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।

14. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाउचर संख्या, तिथि तथा लेखाशीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।

15. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अवश्य करा लिया जाये और इसके बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि, यदि कोई हो तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।

16. सेन्टेज चार्जेज (अधिष्ठान व्यय) की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75, दिनांक 25.01.2011 में जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों के क्रम में सुसंगत लेखा शीर्ष में जमा किया जायेगा।

क्रमशः..........3

http://shasanadesh.up.nic.in

17. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी 31 मार्च, 2017 तक व्यय हो सके।

2. उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-37 में योजनान्तर्गत प्रस्तावित बजट में उपलब्ध धनराशि से लेखाशीर्षक ''2217-शहरी विकास-आयोजनागत-04-गन्दी बस्तियों का विकास-051-निर्माण-03-मलिन बस्तियों तथा अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में सी0सी0 रोड/इण्टरलाकिंग तथा नाली आदि का निर्माण-00-35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान'' के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22.03.2016 तथा समय-समय पर प्राप्त निर्देशों के तहत् जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक – यथोक्त।

भवदीय,
(एच0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-624/2016/1941(1)/69-1-16, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0,20 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
4. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, मुरादाबाद ।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0 शासन।
7. नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
8. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ।
10. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेब साइड पर अपलोड कराने हेतु।
11. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आज्ञा से,
(एच0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या-624/2016/1941(1)/69-1-16-50(अ0सं0-37)/2016, दिनांक 29 सितम्बर, 2016 का संलग्नक।

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	निकाय/ नगर पंचायत का नाम।	बस्ती/वार्ड का नाम/कार्य का विवरण।	परियोजना की कुल लागत।	प्रथम किश्त (50 प्रतिशत) के रूप में स्वीकृति की जा रही धनराशि।
1	2	3	4	5	6
1	मुरादाबाद	नगर निगम मुरादाबाद	वार्ड सं0-38 के मो0 जयन्तीपुर (पीर का बाजार) में लाला राम के मकान से देवी के मकान तक व आस पास की गलियों में बबलू के मकान से कमल के मकान तक, भगवान दास के मकान से गुड्डू के मकान तक, समय सिंह के मकान से राम कपूर के मकान तक, राजपाल के मकान से राजेन्द्र के मकान तक, रामबीर के मकान से टीटू के मकान तक व संजय वाली गली तथा आन्तरिक गलियों में इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	76.58	38.29
2	तदैव	तदैव	वार्ड सं0-38 के मो0 जयन्तीपुर (पीर का बाजार) में नासिर मिस्त्री के मकान से भूरे के मकान होते हुए शकील के मकान तक, नासिर गैस वालों से हसमत भाई के मकान तक, महमूद के मकान से हनीफ के मकान तक, फिदा हुसैन, राशिद भाई की गली व हसरत के मकान से लतीफ भाई के मकान होते हुए वाजिद के मकान तक, वसीम के मकान से नाजिम के मकान तक, वाजिद अली के मकान से असलमी मस्जिद के पास व छीआ की गली तथा आस पास की आन्तरिक गलियों में इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	63.43	31.715
3	तदैव	तदैव	वार्ड सं0-38 के मो0 जयन्तीपुर में शिवा के मकान से चामुण्डा के मकान के आगे तक, महेश के मकान से राजू के मकान तक, मोहसिन सैनी की फर्म से चेतराम पाल की बेकरी तक, रूपचन्द, चन्द्रसैनी की गली, चन्द्रपाल के मकान से करूला नाले की पुलिया तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	60.33	30.165
4.	तदैव	तदैव	वार्ड सं0-38 के मो0 जयन्तीपुर में दानिश के मकान से राशिद मुल्ला के मकान तक, इण्डियन पट्रोल पम्प के बराबर से अचार वालों तक, ज्वैलर्स व पीर बाजार में बैशाली ज्वैलर्स की दुकान से मो0 अनीस के घर होते हुए मो0 इसरार दरोगा जी के मकान तक व जयन्तीपुर	49.82	24.91

http://shasanadesh.up.nic.in

			रोड इन गैसेज से मो0 साबिर के मकान तक, तिकोनिया मस्जिद रोड पर कासिम भाई के मकान से कब्रिस्तान तक, युसूफ भाई के मकान से वजीर भाई के मकान व आन्तरिक गलियों में इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।		
5.	तदैव	तदैव	वार्ड सं0-10 के मो0 भीमाठेर में साबिया प्रधान के मकान से नूर मोहम्मद के मकान तक, जाफर के मकान से नीजार खॉ के मकान तक, जरदार के मकान से हनीफ के मकान तक, नवाब भाई के मकान से रहीश के आगे तक, अक्सर के मकान से दिलशाद के मकान तक, जाकिर के मकान से कादरी मस्जिद तक, शहजादा के मकान से मेन रोड तक व आन्तरिक गलियों में इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	54.74	27.37
6	तदैव	तदैव	वार्ड सं0-10 के मो0 भीमाठेर में पप्पू के मकान से छिद्दा के मकान तक, यादव जी के मकान से सोमपाल के मकान तक, सुरेन्द्र के मकान से जहीर के मकान तक, भगत जी के मकान से मुंशी पाल वाली गली तक, मुल्ला के मकान से दिपक बिश्नोई के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	51.58	25.79
7	तदैव	तदैव	वार्ड सं0-15 के मो0 काजीपुरा में मो0 सेन के मकान से काजीपुरा रोड तक एवं कब्रिस्तान के मुख्य सड़क तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	61.11	30.555
8	तदैव	तदैव	वार्ड सं0-15 के मो0 काजीपुरा में लोधीपुर रोड पर बशीर के मकान से यासीन के मकान तक शरीफ के मकान से महेन्द्र के मकान तक, यासीन के मकान से रफीक के मकान तक व मियॉजान के मकान से धीरे के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	52.70	26.35
9	तदैव	तदैव	वार्ड नं0-26 के मो0 सूर्यनगर में रमेश के मकान से कमल सक्सेना के मकान होते हुए जयन्तीपुर रोड तक, ओ0पी0 गुप्ता के मकान से डा0 बंगाली के मकान तक, डालचन्द्र के मकान से चामुण्डा के मकान तक व आन्तरिक गलियों में इण्टरलाकिंग सड़क व नाली का निर्माण कार्य।	49.90	24.95
10	तदैव	तदैव	वार्ड सं0-15 के मो0 काजीपुरा में मो0 महलवपुर रोड पर कब्रिस्तान से कबिता के मकान तक, शमशाद के मकान से कासिम के मकान तक, राजबीर के मकान से अकबर के मकान तक व खलील भाई की चक्की वाली गली, लोधीपुर रोड राजू के मकान से जयचन्द्र के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	50.45	25.225
11	तदैव	तदैव	वार्ड सं0-12 के मो0 धीमरी में मैनाठेर आबादी रोड पर जहीर के मकान से वाहिद के मकान तक, नबाव जॉन	46.73	23.365

http://sladasamadesh.up.nic.in

			के मकान से जाकिर के मकान तक, साबिर के मकान से टावर वाली मस्जिद तक, असंख्या से जाकिर के मकान तक, पानी की टंकी से नौशे अली के मकान तक तथा आफताब के मकान से गली के आखिर तक एवं आन्तरिक गलियों में इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।		
12	तदैव	तदैव	वार्ड सं0-12 के मो0 धीमरी में मुख्य सड़क से इन्तजार के मकान तक एवं मुख्य सड़क से इरफान के मकान तक तथा आन्तरिक गलियों में इण्टरलाकिंग सड़क व नाली का निर्माण कार्य।	25.90	12.95
13	तदैव	तदैव	वार्ड सं0-12 के मो0 धीमरी में चन्द्रसेन के मकान से जुल्फिकार के मकान इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	49.62	24.81
			योग	692.89	346.445

(रूपये तीन करोड़ छियालिस लाख चौवालिस हजार पाँच सौ मात्र)।

(एच0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in